

Date:

(Pr. Commissioner/Commissioner of Income-tax)

[Notification No. 116/2016/ F.No.142/33/2016-TPL]

Dr. T.S. MAPWAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसंबर, 2016

का.आ. 4060(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,—

(i) यथास्थिति, ऐसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है, वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन हस्त रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई घोषणा के प्रयोजनों के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त के रूप में अधिसूचित करती है; और

(ii) यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है, या आय-कर आयुक्त, केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलुरु को वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन अंकीय चिह्नक सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई घोषणा के प्रयोजनों के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त के रूप में अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 117/2016/ फा.सं. 142/33/2016-टीपीएल]

डॉ. टी.एस. मपवाल, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2016

S.O. 4060(E).—In exercise of the powers conferred by section 199G of the Finance Act, 2016 (28 of 2016), the Central Government hereby—

- (i) notifies the Principal Commissioner or the Commissioner, as the case may be, who exercises the jurisdiction under section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), as the Principal Commissioner or the Commissioner for the purposes of declaration filed manually or electronically under electronic verification code under sub-section (1) of section 199C of the Finance Act, 2016 (28 of 2016); and
- (ii) notifies the Principal Commissioner or the Commissioner, as the case may be, who exercises the jurisdiction under section 120 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) or the Commissioner of Income-tax, Centralised Processing Centre, Bengaluru, as the Principal Commissioner or Commissioner, for the purposes of declaration filed electronically with digital signature under sub-section (1) of section 199C of the Finance Act, 2016 (28 of 2016).

[Notification No. 117/2016/ F.No.142/33/2016-TPL]

Dr. T.S. MAPWAL, Under Secy.